न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 19/2018 जिला दौसा ।

1. मनोहर कंवर उर्फ मन्ना कंवर पुत्री स्व. भंवरराम पत्नि किशोर सिंह जाति राजपूत निवासी चक अभयपुरा हाल निवासी राजियासर खरा तहसील सुजानगढ जिला चुरू।
2. सुप्यारकंवर पुत्री स्व0 श्री भंवरराम पत्नि सावंतसिंह जाति राजपूत निवासी चक अभयपुरा हाल निवासी गुढावडी तहसील सुजानगढ जिला चुरू।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुरज्ञानसिंह पुत्र स्व0 भंवरराम फौत
   1/1. ओमसिंह पुत्र सुरज्ञानसिंह।
   1/2. मूलसिंह पुत्र सुरज्ञानसिंह।
   1/3. श्रीमती मनोहरकंवर बेवा सुरज्ञानसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम चक अभयपुरा तहसील रामगढ पंचवारा जिला दौसा।
   1/4. श्रीमती नन्दूकंवर पुत्री सुरज्ञानसिंह पत्नि नगेन्द्रसिंह निवासी कुन्सीसर तह0 चुरू जिला चुरू, राज0।
2. लक्ष्मणसिंह पुत्र स्व0 भंवरराम।
3. सम्पतसिंह पुत्र स्व0 भंवरराम।
4. सरदारसिंह पुत्र स्व0 भंवरराम।
   जाति राजपूत निवासीगण ग्राम चक अभयपुरा हाल निवासी रामगढ पचवारा तह0 रामगढ पचवारा जिला दौसा।
5. समन्दरकंवर पुत्री स्व0 भंवरराम पत्नि हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी चक अभयपुरा हाल निवासी कुमास जागीर तह0 रामगढ पचवारा जिला दौसा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट।
7. किशनसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह।
8. नाथूसिंह पुत्र भंवरसिंह।
9. नारायणसिंह पुत्र सुगनसिंह।
10. हरिसिंह पुत्र सुगनसिंह।
    जाति राजपूत निवासी मनवा का बास तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा नामान्तकरण संख्या 24 ग्राम चक अभयपुरा दिनांक 20.02.2018

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री अवधेश कुमार शर्मा।
2. वकील रेस्पोडेट नं0 2, 3 श्री राजकुमार शर्मा,
   वकील रेस्पोडेंट, 7 से 10 श्री उमेश गौड,
   वकील रेस्पोडेंन्ट नं0 1/1 से 1/4 व 5 श्री अशोक बटवाल
   वकील रेस्पोडेंट नं. 4 श्री प्रहलाद रावत।

निर्णय

दिनांक–02.12.2020

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 20.02.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 24 में भंवरराम की मृत्यु होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 24 तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 29.03.1996 को भंवरराम के पुत्रगण रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 4 सुरज्ञानसिंह, लक्ष्मणसिंह, संपतसिंह व सरदारसिंह के नाम स्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर मृतक भंवरराम की पुत्रीयां अपीलांटस मनोहरकंवर व सुप्यार कंवर द्वारा अति. जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अति. जिला कलक्टर दौसा ने निर्णय दिनांक 20.02.2018 के द्वारा अपीलांट की अपील खारिज की गई। अति. जिला कलक्टर दौसा के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.02.2018 से व्यथित होकर अपीलान्टस मनोहर कंवर उर्फ मन्ना कंवर पुत्री स्व. भंवरराम पत्नि किशोर सिंह व सुप्यारकंवर पुत्री स्व0 श्री भंवरराम पत्नि सावंतसिंह द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना की गई कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 05 अपने पिता मृतक भंवरराम की जायंदा पुत्रीयां होने के कारण मृतक भंवरराम की विरासत का नामान्तकरण अपीलांट के नाम खुलवाने के कानूनी अधिकारी थी परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 ने मृतक भंवरराम की विरासत का बिना विधिक प्रकिया अपनाये बिना ही नामान्तकरण संख्या 24 अपने आपको मृतक भंवरराम के वारिसान बताकर गुपचुप तरीके से तस्दीक करवा लिया। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय अति0 जिला कलक्टर दौसा दिनांक 20.02.2018 व नामान्तकरण संख्या 24 दिनांक 29.03.1996 ग्राम चक अभयपुरा तत्कालीन तहसील लालसोट हाल रामगढ पचवारा को निरस्त किया जावे।
2. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
3. बहस में अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार लालसोट द्वारा विवादित नामान्तरकरण संख्या 24 दिनांक

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

29.03.1996 बिना कानून की पालना किये तथा बिना अपीलान्ट को सूचित किये तस्दीक किया है। चूंकि विवादित आराजी पूर्व में भंवरराम की खातेदारी में दर्ज थी तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् विरासत का नामातरकरण सुरज्ञान सिंह तथा रेस्पोडेन्ट 2 लगायत 4 के हक में तस्दीक किया गया है, जबकि अपीलान्ट तथा रेस्पोडन्ट सं0 5 भी मृतक भंवरराम के वारिसान है। अतः मृतक भंवरराम की विरासत का नामान्तरकरण उसके समस्त वारिसान के नाम नियमानुसार खोला जाना चाहिये था। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत नामान्तरकरण खारिज किया जाकर समस्त वारिसान के हक में दर्ज किया जाये। अति0 जिला कलक्टर दौसा द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 2016 पृष्ठ 1 के आधार पर 9 सितम्बर 2005 के पश्चात् मृत्यु होने पर ही पुत्रियों का विरासत में हिस्सा होने का अधिकार मानते हुये अपील त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज की गई, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा तथा सिविल अपील नं0 188–189 धनमा बनाम अमर में पारित निर्णयानुसार पुत्रियों को पुत्रों के समान अधिकार विरासत में प्राप्त होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। चूंकि भंवरराम की यह स्वयं अर्जित सम्पति है। अतः इस पर न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 2016 पृष्ठ 1 लागू नहीं होता। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तकरण खारिज किया जाकर भंवरराम के समस्त वारिसान का बराबर हिस्से का नामान्तकरण तस्दीक किया जाए। रेस्पोडेन्ट सं0 1/1 लगायत 1/4 व 4, 5 के विद्वान अभिभाषक का बहस में तर्क था कि विवादित आराजी भंवरराम की स्वयं अर्जित सम्पति थी तथा उसकी मृत्यु के समय उसकी लडकियों को भी पुत्रों के समान सम्पति में अधिकार प्राप्त थे। सभी प्रथम श्रेणी के भंवरराम के वारिसान है। उनका यह भी कथन था कि नियमित वाद पेश होने पर नामान्तरकरण के अपील करने के अधिकार समाप्त नहीं होते । भंवरराम की मृत्यु के पश्चात् लडकियो को स्वतः ही अधिकार प्राप्त हो गये । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाये।

4. रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 3 के विद्वान अभिभाषक का बहस में कथन था कि विवादित नामान्तकरण 1996 में तस्दीक किया गया। उसके 24 वर्ष बाद इसको चैलेन्ज किया गया है। विवादित भूमि में से रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 3 द्वारा भूमि का बेचान किया गया तथा पक्षकारों के मध्य तकासमा का दावा विचाराधीन है एवं भंवरराम की पुत्रियों द्वारा घोषणा का दावा भी न्यायालय उप खण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा में किया गया है जो विचाराधीन है। नामान्तरकरण कार्यवाही एक फिस्कल कार्यवाही है। अपीलान्ट के अधिकार नियमित वाद में तय किये जा सकते है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील खारिज की जाये।
5. रेस्पोडेन्ट सं0 7 लगायत 10 के विद्वान अभिभाषक का बहस में कथन था कि विवादित नामान्तरकरण 1996 का है। जिसे वर्ष 2016 में चैलेन्ज किया गया। उनके

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

द्वारा विवादित आराजी में दर्ज रिकाडेड खातेदार से वर्ष 2015 में भूमि का क्रय किया गया। वह विवादित आराजी के सद्भाविक क्रेता है। जब तक विक्रय पत्र निरस्त नहीं किया जाये तब तक उनके विवादित आराजी में अधिकार समाप्त नहीं होते। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त नही कराया गया है। अपीलान्ट द्वारा पेश किये गये नियमित वाद में उनके अधिकार तय होंगे। अतः ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील खारिज की जाये। उनके द्वारा अपने कथन के समर्थन में आर.बी.जे. 2006 पेज 366, आर.बी. जे. 2009 पेज 428, ए.आई.आर. 2016 पेज 96 न्यायिक दृष्टांत पेश कर अपील खारिज करने का निवेदन किया ।

6. पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मृतक भंवरराम की मृत्यु होने पर नामान्तरकरण संख्या 24 दिनांक 29.03.1996 सुरज्ञान तथा रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 4 के हक में तहसीलदार लालसोट द्वारा तस्दीक किया गया, जिसकी अपील अधिनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा द्वारा न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 2016 पृष्ठ 1 अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर पुत्रियों का विरास्त में हिस्सा नही होना मानते हुये अस्वीकार की गई। जबकि उक्त न्यायिक दृष्टान्त के पश्चात् माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2018 में निर्णित सिविल अपील डायरी नं0 32601 विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा में यह निर्धारित किया है कि:–

"The provisions contained in substituted Section 6 of the Hindu Succession Act, 1956 confer status of coparcener on the daughter born before or after amendment in the same manner as son with same rights and liabilities."

7. उक्त न्यायिक दृष्टान्त से यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर पुत्रियों को भी पुत्रों के समान उसकी सम्पति में अधिकार है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 4 तथा 7 लगायत 10 की बहस में यह मुख्य आपत्ति थी की न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 2016 पृष्ठ 1 के अनुसार किसी व्यक्ति की 9 सितम्बर 2005 के पश्चात मृत्यु होने पर ही पुत्रियो को मृतक की सम्पति में अधिकार प्राप्त है जबकि उक्त न्यायिक दृष्टांत को **over rule** करते हुये न्यायिक दृष्टांत 2018 विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पुत्रियो को पुत्रो के समान अधिकार होना निर्धारित किया है।

8. परन्तु पक्षकारों के मध्य घोषण विभाजन तथा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय रामगढ पचवारा में विचाराधीन है, जिसमें अपीलान्ट के अधिकार तय होंगे। न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी 2001 (2) पृष्ठ 1236 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि नामान्तकरण की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही (**summary proceeding**) है। नियमित वाद न्यायालय में पेश होने पर अधिकारों का निर्णय वाद में तय किया जाना व नामान्तरकरण खारिज किया जाकर उसे सिविल वाद के निस्तारित तक लम्बित रखने के आदेश पारित किये गये। न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी 2001(2) पृष्ठ 988 के

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

अनुसार भी यदि पक्षकारो के मध्य नियमित वाद विचाराधीन है तो पक्षकारों के अधिकार नियमित वाद में तय होंगे।

9. न्यायिक दृष्टांत *2013(2) आर.आर.टी. 766* के अनुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956–धारा 135 केवल पुत्र के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया–पुत्रियों को अधिकार नहीं दिया–प्राईवेट खातेदारी भूमि के संबंध में रेफरेन्स किया–नामान्तकरण स्वत्व अथवा हित सृजन नहीं करता है–सभी विधिक वारिसान भूमि में हिस्सा के हकदार है जब तक कि हिस्सा छोड न दिया जाये–रजिस्टर्ड हक तर्कनामा पेश नहीं किया–निर्णित, नामान्तकरण विधि के प्रतिकूल है व अपास्त किया।
10. उपरोक्त समस्त न्यायिक दृष्टांतो से स्पष्ट है कि मृतक भंवरराम की मृत्यु पर उसकी स्वअर्जित संपति में उसके समस्त वारिसान का हक निहित है परन्तु चूंकि उनके मध्य नियमित वाद न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उनके अधिकार विचाराधीन नियमित वाद में ही तय होंगे।
11. उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि मृतक भंवरराम की मृत्यु के पश्चात् उसके सिर्फ पुत्रों के हक में विवादित नामान्तकरण तस्दीक किया गया, जबकि उसकी स्वय अर्जित सम्पति में उसके पुत्र व पुत्रियों का बराबर का हक था। यह भी स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य घोषण का वाद उप खण्ड न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें उनके अधिकार तय होंगे। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.02.2018 तथा नामान्तकरण संख्या 24 दि0 29.03.1996 निरस्त किया जाकर तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मृतक के समस्त वारिसान की जांच कर समस्त पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के अनुरूप व पक्षकारान के मध्य विचाराधीन खातेदारी धोषणा के नियमित वाद में पारित निर्णय अनुसार पुनः निर्णय पारित करे।
12. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

(नरेन्द्र गुप्ता)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 02.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर